

अध्याय 7 अग्रिम विनिर्णय

धारा 14 : परिभाषाएं

इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “अग्रिम विनिर्णय” से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में, जो आवेदक द्वारा किया गया है या जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (2) या धारा 100 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों पर या प्रश्नों पर किसी आवेदक के प्रति प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण द्वारा दिया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है;
 - (ख) “अपील प्राधिकरण” से धारा 16 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है;
 - (ग) “आवेदक” से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
 - (घ) “आवेदन” से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 97 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;
 - (ङ.) “प्राधिकरण” से धारा 15 के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण अभिप्रेत है।
-